

14 सितम्बर, 1981 ई०

सं० 9305 14-2-20 (139)-79—अधिसूचना संख्या 1960/14-ख-4 (9)-70, दिनांक 4 जुलाई, 1970 द्वारा अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन आरक्षित बन बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गई है;

और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची "ख" में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, दिनांक 30 जुलाई, 1983 के अधिसूचना सं० में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं।

अनुसूची 'क'
स्थिति एवं क्षेत्रफल

क्र.सं.	तहसील	परगना	म.जा	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	छाता	छाता	बठैन कलां	351	5.16	जैसा कि विस्तृत सीमा विवरण में अंकित है।
				352	7.50	
				353 भाग	14.98	
				1967 भाग	30.00	
				1978	8.00	
				1979 मि०	1.70	
				1966	0.60	
				1995	81.26	
				8 कित्ता	145.00	

क्षेत्रीय वन अधिकारी
कोसीकलां

विस्तृत सीमा वर्णन

वन सीमा वद्ध तालिका ग्राम बठैन कलां तहसील छाता जिला मथुरा।

क्र.सं.	स्थिति	अगले स्तम्भ का अनुमानित चुम्बकीय कोण		अगले स्तम्भ की नापी गयी अनुमानित दूरी (जरीबों में)	अगले स्तम्भ तक की सीमा की दशा	विशेष विवरण
		अग्रिम	पार्श्व			
1	2	3	4	5	6	7
						8
ब्लाक नं० 1						
1	खसरा नं० 1981, 1982 व 1983 के वन्दोवस्ती तिमेड़े से बहिष्कोण 46 दूरी 5.40 जरीब के अन्तर पर तथा खसरा नं० 1985 के उत्तर पश्चिम कोने पर	उ०प०	333.30	153.30	5.00	सीधी रेखा
2	खसरा नं० 1995 की पश्चिमी	उ०प०	333.30	153.30	7.20	"
3	"	उ०प०	8.15	188.15	7.70	"
4	"	उ०प०	15.00	195.00	2.95	"
5	"	उ०प०	12.15	192.15	6.10	"
6	खसरा नं० 1967 के अन्दर	उ०प०	18.00	198.00	4.00	"
7	"	उ०प०	18.00	198.00	5.15	"
8	"	उ०प०	67.00	247.00	7.60	"
9	खसरा नं० 1967 की उत्तरी में डे पर	उ०प०	82.00	262.00	5.65	"
10	"	उ०प०	82.00	262.00	3.75	"
11	खसरा नं० 1967 के अन्दर	उ०प०	105.30	235.30	2.40	"